

दिनांक 28.07.2019 को थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत हुये हत्या मामले का सफल अनावरण, हत्या में संलिप्त

मृतक की पत्नी सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दक्षिणटोला पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब आज दिनांक 03.08.19 को थानाध्यक्ष दक्षिणटोला मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दशई पोखरा के पास से मु0अ0सं0 146/19 धारा 302,120बी भादवि में प्रकाश में अभियुक्तों को जब पल्सर मोटर साईकिल से आते हुए दो व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो उक्त व्यक्ति मोटर साईकिल घुमाकर भागने का प्रयास किया गया परन्तु आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों को पकड़ लिया गया उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा अपना नाम आफताब पुत्र जुल्फीकार अली भुट्टो ,एवं उसके दोस्त सुफियान अहमद पुत्र इसरार अहमद साकिनान बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ बताया गया मोटर साईकिल का कागज मांगने पर कोई कागज प्रस्तुत नहीं किये अभियुक्तों को कब्जा पुलिस में लेकर पूछताछ की गयी तो आफताब द्वारा बताया गया की निशा (मृतक की पत्नी) से उसका प्रेम हो गया था और निशा भी उसको चाहती थी निशा अपने पति के पेशे से खुश नहीं थी तथा उसके पति को लाईलाज विमारी थी वह अपने पति को छोड़ कर मेरे साथ रहना चाहती थी परन्तु उसका पति उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। दिनांक 27. 07.19 को निशा मुझसे मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए कहा और यह भी कहा की कल वह अपने पति को मतलूपुर तिराहा स्थित कांशीराम आवस की तरफ किराये का आवास लेने के बहाने लेकर जायेगी और उधर ही सुनसान जगह देखकर घटना को अंजाम दे दिया जायेगा इस योजना के तहत मैं अपने साथी सुफियान को भी साजिश में लेकर घटना को अंजाम दिया आला कत्ल के सम्बन्ध में पूछने पर बताया कि घटना में प्रयुक्त चाकू को बाद घटना बख्तावरगंज पुल से तमसा नदी में फेंक दिया गया। तत्पश्चात निशा के बारे में पूछे जाने पर अभियुक्तों की निशानदेही पर माता पोखरा के पास से महिला आरक्षियों की सहायता से निशा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों को साथ लेकर बख्तावरगंज पुल के पास जाकर गोताखोरो को बुलाकर आला कत्ल की बरामदगी का प्रयास किया गया परन्तु बरामद नहीं हुआ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण—

1. आफताब पुत्र जुल्फीकार अली भुट्टो साकिन बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 28 वर्ष ।
2. सुफियान अहमद पुत्र इसरार अहमद साकिन बरईपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष ।
3. निशा पत्नी स्व0 फैय्याज साकिन प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी—

1. एक अदद पल्सर मोटर साईकिल काले रंग की विना नम्बर की ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम—

उ0नि0 विनय कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना दक्षिण टोला, का0 अर्जुन कुमार यादव, का0 अंकित वर्मा, महिला आरक्षी गरिमा यादव, महिला आरक्षी प्रियंका यादव।

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 03.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा रोडवेज के पास से मु0अ0सं0 140/19 379,411 भादवि में वांछित अभियुक्त विशाल पुत्र गुड्डू यादव निवासी पटजीवा थाना दोहरीघाट, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 337/19 धारा 379,411 भादवि में वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र मुन्नी लाल निवासी भातकोल थाना मुहम्मदाबाद व थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/19 धारा 376,506,323 भादवि में वांछित अभियुक्त बबल उर्फ समीम पुत्र यासीन कुरैशी निवासी यूसूफाबाद थाना चिरैयाकोट मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

एक अदद नाजायज चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार—

थाना कोतवाली में दिनांक 02.08.19 को उ0नि0 अनुज कुमार मय हमराहियान के साथ देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नवीन मंडी के पास से रामप्रीत राजभर पुत्र धनराज राजभर निवासी महुआरी थाना कोतवाली मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 347/19 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 20 व्यक्ति गिरफ्तार—

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 03.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा रामदिनेश, विनोद, शंकर, प्रभू, राजेन्द्र निवासीगण ख्वाजाजहांपुर, वकील प्रसाद, सुधाकर, सुरेन्द्र निवासीगण अम्बेडकर नगर भीटी, पंकज सिंह, पवन, विद्यासागर, संदीप निवासी राजपुताना, अशोक गुप्ता निवासी सैरपुर थाना कोतवाली, थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा भीष्म निवासी देवदा थाना हलधरपुर, थाना मधुबन पुलिस द्वारा ललित कुमार व लालमोहन निवासीगण कुसुम्हा थाना मधुबन, थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा अरविन्द व संतोष निवासीगण ताहिरपुर थाना सरायलखंसी, थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा लियाकत अली निवासी भटकुंआ पट्टी थाना दक्षिणटोला मऊ को धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनपद में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शनिवार को समस्त थानों पर जन शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के क्रम में आज दिनांक 03.08.2019 को समाधान दिवस का आयोजन किया गया जिसमें—

जनपद के समस्त थानों पर पड़े प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्नवत है—

थाना चिरैयाकोट में 06 प्रा0पत्र पड़े निस्तारित 01, थाना दक्षिणटोला में 03 प्रा0पत्र पड़े, थाना दोहरीघाट में 10 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 01, थाना घोसी में 05 प्रा0पत्र पड़े, निस्तारण 02, थाना हलधरपुर में 12 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 02, थाना कोपागंज में 13 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 00, थाना कोतवाली में 04 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 00, थाना मधुबन में 14 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 02, थाना मुहम्मदाबाद 211 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 01, थाना रानीपुर में 06 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 02, थाना सरायलखंसी में 14 प्रा0पत्र पड़े निस्तारण 04।